न्यायायल : उपखण्ड अधिकारी, नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0
पीठासीन अधिकारी : महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र सं0 02/2025
निर्णय दिनांक : 4-3-25
उनवान:

1. अंगूरी देवी पत्नी श्री सत्यवीर यादव उम्र 56 साल जाति अहीर निवासी ग्राम तलवाना तहसील तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.....प्रार्थीया

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र बलबीरसिंह जाति अहीर
2. नरेन्द्र पुत्र बलबीरसिंह जाति अहीर
3. लाली देवी पत्नी बलबीरसिंह जाति अहीर
4. सरला पुत्री बलबीरसिंह जाति अहीर
5. शीशराम पुत्र बलबीरसिंह जाति अहीर
6. सुमन पुत्री बलबीरसिंह जाति अहीर
7. हंसराज पुत्र बलबीरसिंह जाति अहीर
8. रणधीरसिंह पुत्र खेमचन्द जाति अहीर
9. रामानन्द पुत्र बेगराज जाति अहीर
10. महेन्द्र पुत्र बेगराज जाति अहीर
11. सुमन देवी पत्नी संदीप जाति अहीर
12. संजू पत्नी पिकास कुमार जाति अहीर सभी निवासी गॅाम तलबवाना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
13. तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज0
अभिधृति अधिनियम 1955

उपस्थिती :–

श्री कैलाश शर्मा योग्य अधिवक्ता प्रार्थीया की ओर से
श्रीमति नवीन बाला योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 लगा0 7 की ओर से
श्री प्रतापसिंह योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 10 की ओर से
श्री नफैसिंह यादव योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 11,12 की ओर से

।। निर्णय ।।

पत्रावली सुनवाई हेतु पेश हुई प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राज0 अभिधृति अधि0 के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा खसरा नम्बर 640 मे अपने हिस्से मे मकानात बना रखे है तथा रिहायश करती है तथा प्रार्थीया अपने मकान तक आने के लिए खसरा नम्बर 236 मे से 11 फुट चौडा व 435 फुट लम्बा रास्ता जिसे नजरी नक्शा मे नीले रंग एवं ए बी सी डी हहै को खरीद किया हुआ है जिसका कोई विवाद नही है। खसरा नम्बर 638 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम तलवाना अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीया ने भारी लागत लगाकर अपने मकानो का निर्माण किया है प्रार्थीया का कोई रास्ता नही है इसलिए प्रार्थीया खसरा नम्बर 638 मे लाल रंग से दर्शित सी से आई, ई से एच व ई से एफ व जी से बी जो नक्शा मे प्रपोजल रास्ता दिखाया है उसको प्रार्थीया 15 फुट चौडा व 458

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

फिट लम्बा रास्ता कायम करवाने की व रिकार्ड मे दर्ज करवाने को तैयार है उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीया के मकान मे आने जाने का कोई रास्ता दूसरी जगह से नही है। अधिसूचना दिनांक 18.01.2012 के अनुसार माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुमति से जो रास्ता रिकार्ड मे नही है और व्यक्तिगत रूप से आवश्यक है तो रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। इसलिए मिन प्रार्थीया को अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 638 के दक्षिण व पश्चिम मे 15 फुट चौडा व 458 फुट लम्बा रास्ता राजस्व रिकार्ड मे कायम किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये अप्रार्थी सं0 1 लगा. 7 वाद तामिल जरिंये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र की पुष्ठि करते हुऐ इकवाल जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा अप्रार्थी सं0 8,9 वाद तामिल उपस्थित नही होने पर उनकी एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई तथा अप्रार्थी सं0 10 वाद तामिल जरिये अधिवक्ता उपस्थित आया तथा अप्रार्थी सं0 11,12 बाद तामिल न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यो को इंकार करती हुई जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि खसरा नम्बर 640 मे प्रार्थीया के हिस्से मे आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 644,645 वाके ग्राम तलवाना मे से है प्रार्थीया दोनो तरफ से रास्ता लेना चाहती है। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई।

तत्पश्चात हमारे द्वारा मौका की वास्तविक स्थिती एवं प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता की भूमि का क्षेत्रफल की रिपोर्ट तहसीलदार नीमराना से मंगवाई गई। तहसीलदार नीमराना द्वारा दिनांक 19.08.2025 को मय नक्शा मौका एवं रास्ता के क्षेत्रफल की रिपोर्ट पेश की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थीया के वकील द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुऐ। खसरा नम्बर 640 वाके ग्राम तलवाना मे प्रार्थीया द्वारा बनाये गये मकानो तक आने जाने हेतु 15 फुट चौडा रास्ता घोषित किया जावे । रास्ता की भूमि की नियमानुसार राशि बने वो प्रार्थीया, अप्रार्थीगण को अदा करने या न्यायालय श्रीमान् के आदेश से राजकोष मे जमा करवाने के लिए तैयार है।

वकील अप्रार्थी सं0 11,12 ने अपनी बहस मे, अपने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो के मुताबिक प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र गलत बताते हुऐ प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार, नीमराना द्वारा पेश मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट के मुताबिक खसरा नम्बर 236 की दक्षिणी डोल के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 638 तक अप्रार्थी सं0 1 लगा.7 रास्ता देने के लिए तैयार है तथा खसरा नम्बर 638 की पश्चिमी डोल और फिर दक्षिणी डोल के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 640 मे प्रार्थीया के निर्मित मकानो तक रास्ता के अलावा दूसरी जगह से कोई रास्ता कायम किया संभव नही है। जिसका विरोध अप्रार्थी सं0 11,12 के अलावा अन्य अप्रार्थीगण द्वारा नही किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश मौका रिपोर्ट मय नक्शा के पूर्ण अवलोकन से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण न्याय हित मे स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

::– आदेश –::

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राज. अभिधृति अधि. 1955 तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 19.08.2025 के मुताबिक साबित

उपखण्ड अधिकारी

होने के कारण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 236 व 638 वाके ग्राम तलवाना मे से तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश मौका रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा मे लाल स्याही से दर्शित भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार नीमराना को आदेश दिया जाता है कि उक्त रास्ता की भूमि के क्षेत्रफल की वर्तमान डीएलसी राशि की नियमानुसार दुगनी राशि, प्रार्थीया द्वारा राजकोष मे जमा करवाने के उपरान्त उक्त रास्ता की भूमि का अलग से बटा नम्बर कायम कर उसे प्रार्थीया के नाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश मय नक्शा मौका रिपोर्ट दिनांक 19.08.2025 के मुताबिक खसरा नम्बर 236 व 638 वाके ग्राम तलवाना तह0 नीमराना मे से खसरा नम्बर 640 वाके ग्राम तलवाना तह0 नीमराना तक कृषि हेतु आने जाने के लिए मौका रिपोर्ट मे दर्शित नजरी नक्शा के मुताविक रास्ता का तितम्बा काटा जाकर राजस्व नक्शा मे तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश मय नक्शा रिपोर्ट दिनांक 19.08.2025 इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 4-9.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

नोट:- प्रार्थीया द्वारा राजकोष में जमा करवाई गई राशि [illegible] रु. [illegible] अप्रार्थीगण को दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)